उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।

(कल्याण शाखा)

<u>अल्पकालीन निविदा सूचना</u>

रामगढ़ जिला अन्तर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति उच्च विद्यालय, माण्डू एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य विद्यालय गोला में वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए खाद्य–अखाद्य सामग्री, पठन–पाठन लेखन सामग्री, पोशाक, पुस्तकालय, स्वेटर, कम्बल, चादर, तकिया, दरी, मच्छरदानी, जूता–मोजा, स्कूल बैग, उपस्कर, बर्तन तथा खेल–कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित सामग्रियों की क्रय हेतु निविदा थोक एवं खुदरा निबंधित/पंजीकृत विक्रेताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। सामग्रियों की सूची कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है एवं जिला के वेबसाइट <u>www.ramgarh.nic.in</u> में देखी जा सकती है।

निविदादाता मुहरबंद लिफाफे में निविदा जिला कल्याण कार्यालय, रामगढ़ में दिनांक–20.07.2015 को 4:00 बजे अपराहन तक जमा कर सकते हैं तथा दिनांक–21.07.2015 को 2:00 बजे अपराहन में उप विकास आयुक्त, रामगढ़ की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष निविदा, निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थति में खोली जाएगी।

प्रत्येक निविदादाता को तकनीकी एवं वित्तीय बिड अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में देना आवश्यक होगा। तकनीकी बिड में सभी शर्तों को पूरा करने वाले निविदादाता का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

(क) **<u>तकनीकी बीड की शर्तें</u>**

1. निविदादाता को निविदा के साथ खाद्य–अखाद्य सामग्री के लिए 50,000/–(पचास हजार) रूपये, पठन–पाठन, लेखन सामग्रियों के लिए 20,000/–(बीस हजार) रूपये, उपस्कर बर्तन एवं पोशाक के लिए 25,000/–(पचीस हजार) रूपये, स्वेटर, कम्बल, चादर, तकिया, दरी, मच्छरदानी, जूता–मोजा, स्कूल बैग तथा पुस्तकालय के लिए 20,000/–(बीस हजार) रूपये, एवं खेल–कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सामग्री के लिए 5,000/–(पांच हजार) रूपये अग्रधन के रूप में बैंक ड्राफ्ट, जिला कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ के पदनाम से अलग–अलग जमा करना होगा।
2. खाद्य–अखाद्य सामग्री, उपस्कर, बर्तन, पोशाक, चादर, तकिया, कंबल, दरी, जूता–मोजा, तथा खेल–कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अलग–अलग निविदा देना होगा एवं उक्त लिफाफे के ऊपर तद्नुसार नाम अंकित करना होगा।
3. निविदादाता को प्रतिष्ठान का आयकर, बिक्री कर का पंजीकरण, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत हेल्थ लाईसेंस, कृषि बाजार समिति की अनुज्ञप्ति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता को आयकर एवं बिक्रीकर अद्यतन स्वच्छता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
5. निविदादाता का अपना दर सभी कर सहित सहित देना होगा। प्रत्येक सामग्री का एक ही दर मान्य होगा।
6. निविदादाता को आचरण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
7. आपूर्ति किये जानेवाले सामग्रियों का नमूना जिला कल्याण कार्यालय, रामगढ़ में जमा करनी होगी एवं सामग्रियों की आपूर्ति अनुमोदित नमूने की अनुरूप करनी होगी।
8. निविदादाता को झारखण्ड राज्य के किसी भी जिला में काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9. शर्तयुक्त निविदा स्वीकार नहीं किये जायेंगे एवं मांगे गए वांछित प्रमाण–पत्र नहीं देने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. तकनीकी तथा वित्तीय बीड को एक ही लिफाफा में समर्पित करने वाले निविदादाता की निविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी।

(ख) **वित्तीय बीड की शर्तें:–**

11. सामग्री की आपूर्त्ति आवासीय विद्यालयों में पहुंचाकर करनी होगी, जिसके लिए अलग से कोई परिवहन एवं हथालन व्यय देय नहीं होगा।
12. निविदा का निस्तार सामग्रियों की गुणवत्ता तथा दर के आलोक में किया जायेगा।
13. आपूर्त्तिकर्त्ता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा एवं इस मद में विभाग द्वारा आवंटन प्राप्त होने पर ही अभिश्रव/विपत्रों का भुगतान किया जायेगा।
14. निविदादाता को एक वित्तीय वर्ष तक खाद्य एवं अखाद्य सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत दर पर करनी होगी, किसी भी परिस्थिति में दर संशोधन नहीं किया जायेगा।
15. आपूर्त्ति आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर सामानों की आपूर्ति करनी होगी अन्यथा आपूर्ति आदेश रद्द करते हुए अग्रधन राशि सरकार के पक्ष में जमा कर ली जायेगी।
16. स्वीकृत निविदित प्रतिष्ठान को जिला कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ के साथ एकरारनामा करना होगा।
17. किसी निविदा को आंशिक एवं पूर्ण रूप से स्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

ह0/–
उप विकास आयुक्त
रामगढ़।